राजस्व वाद संख्या 72/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
30/5/18	यह वाद पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 04.06.2018 को पेश हो।
4/6/18	पत्रावली आज दिनांक को लेकर न्याय आपके हाजर खवारानीजी के प्रस्तुत हुई। वादीगण लाडराम जगदीश, व अन्य उपस्थित। तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट प्राप्त हुई मुताबित तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के खातेदार मोरया पुत्र पुखाना भी फौत हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत है नामान्तकरण रा० 42 में स्वीकृत नामान्तकरण के अनुसार मोरया पुत्र पुखाना का हिस्सा 1/16 है इसलिये 1/16 का नामान्तकरण दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम चकपालड़ी के रा०न० 62, 64 की भूमि में नामान्तकरण 42 के आधार मोरया पुत्र पुखाना का विरासत का नामान्तकरण 1/16 हिस्से नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते हैं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरी के बाद वाद खारिज घोषित रहा।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़